बिजली चोरी के 1300 मामले एक दिन में निपटाए

नई दिल्लीः 13 जुलाई, 2015। बीएसईएस इलाके में बिजली चोरी के 1300 से अधिक मामले एक दिन में निपटाए गए। साकेत, द्वारका, तीसहजारी और कड़कड़डूमा अदालतों में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। यह लोक अदालत पूरी तरह से पेपरलेस थी।

जिन मामलों का यहां निपटारा किया गया है, वे सभी मामले विभिन्न अदालतों से वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही, इन मामलों में आपराधिक कानूनी प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया जाएगा।

शनिवार देर शाम तक चली इस लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली बिजली की चोरी से जुड़े उन तमाम मामलों को यहां निपटाया गया, जो या तो किसी अदालत या फोरम में लंबित थे, या जिन्हें फिर जिन मामलों को अब तक दाखिल नहीं किया गया था। बीएसईएस ने नोटिस के माध्यम से बिजली चोरी में शामिल उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं।

जिन उपभोक्ताओं के मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया गया, उन्हें तय रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। कमजोर तबके से आए उपभोक्ताओं को मानवीय आधार पर किश्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे और लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से निजात पाने का मौका मिला। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा क्योंकि कई मामलों का निपटारा एकसाथ हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ताआ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।